



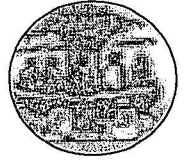
बिहार सरकार

dpro-au-bih@nic.in

समाहरणालय, औरंगाबाद

(जिला पंचायत शाखा)

समाहरणालय परिसर, औरंगाबाद - 824101



<http://www.aurangabad.bih.nic.in>

पत्रांक 2270 / पं०,

प्रेषक,

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।

सेवा में,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना

औरंगाबाद, दिनांक 31 / 10 / 2025

विषय: प्रखंड रफीगंज के प्रमुख पद पर रिक्त के संबंध में।

प्रसंग: भवदीय पत्रांक-4083 दिनांक-21.10.2025

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में कहना है कि प्रखंड रफीगंज के रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु दिनांक-07.11.2025 की तिथि निर्धारित की गई है। ज्ञातव्य हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 40(4) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली 2006 के नियम 88 के अनुसार पंचायत समिति के प्रमुख/उपप्रमुख के निर्वाचन हेतु बैठक की अध्यक्षता संबंधित अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा की जायेगी। विदित हो कि दिनांक-07.11.2025 को औरंगाबाद में माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें विधि व्यवस्था के निमित्त अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद का कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अनुमंडल पदाधिकारी, औरंगाबाद द्वारा दिनांक-07.11.2025 को प्रखंड रफीगंज के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन करवाना संभव नहीं हो रहा है।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य प्रखंड रफीगंज के प्रमुख के रिक्त पद पर निर्वाचन हेतु विधान सभा आम निर्वाचन 2025 के समाप्ति के उपरान्त की कोई तिथि निर्धारित करने की कृपा की जाये।

विश्वासभाजन

(Signature)

जिला पदाधिकारी,
औरंगाबाद।